

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

- (i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (ii) मण्डलायुक्त,  
गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल,
- (iii) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
- (iv) समस्त विभागाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड।
- (iv) प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०,  
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-791/XVII-5/16-09(17)2004 TC-1 दिनांक 22.07.2016 द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को पूर्व अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त त्रैमासिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किया गया है।

उक्त शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा प्रोत्साहन भत्ता भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को उक्त शासनादेश दिनांक 22.07.2016 की सारिणी के अनुसार रू० 3300/- प्रतिमाह की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय,  
  
(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :- (1)/XVII-5/17-09(17)2004TC-1 तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश फाईल।

उपनल मुख्यालय देहरादून

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव।

प्रचलित प्रतीक	✓	52217
उप-सूची प्रवन्धक (ए)		22/07
उप-सूची प्रवन्धक (बी)		22/07
उप-महाप्रवन्धक (सिवा)	✓	
परियोजना अधिकारी		
कार्यालय समीक्षक		Prudir
बक डाक्ट. संख्या		659
दिनांक		21/7/2017

EST / Policy file :

Upload in  
web site of  
UPML  
E